

संदीप आदि बनाम तारुराम
प्रकरण सं. 35/2017 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.08. 2025	<p>प्रार्थीगण गायत्री वगैरह द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थीगण संदीप वगैरह उपस्थित। प्रार्थीगण गायत्री वगैरह ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की अप्रार्थी सं. 1 के साथ सांझा खाता में दर्ज है उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा ना ही प्रार्थीगण के खिलाफ कोई अनुतोष प्रार्थीगण संदीप वगैरह द्वारा चाहा गया है परन्तु स्थगन का नोट जमाबन्दी में होने से प्रार्थीगण प्रभावित होते है इसलिये प्रार्थीगण के हिस्सा से स्थगन मुक्त किये जाने के आदेश दिये जावे। वकील प्रार्थीगण गायत्री वगैरह के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण संदीप वगैरह ने अनापति पेश की।</p> <p>वकुलाए फरिकैन को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दिनांक 09.06.2017 को जारी स्थगन आदेश अप्रार्थी तारुराम के हिस्सा पर जारी किया गया है उक्त स्थगन आदेश प्रार्थीगण गायत्री वगैरह के खिलाफ या उनके हिस्सा पर जारी नहीं किया गया है। अगर प्रार्थीगण गायत्री वगैरह अपने हक हिस्सा की भूमि को रहन बैय या खाता विभाजन आदि कार्य करते है तो स्थगन प्रभावित नहीं होगा। शेष अंकन पूर्व आदेशानुसार ही रहेगा। पत्रावली आईन्दा तारीख 23.09.2025 को पेश हो।</p>	
23-9-2024	<p>वकुलाए फरिकैन उपस्थित/PU माहक <i>उत्पावली</i> <i>पत्रावली</i> <i>वकील</i> दिनांक <i>20.11.2024</i> क पत्र है <i>7</i></p>	<p>सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी रायतसर</p>
20-11-2024	<p>वकुलाए फरिकैन उपस्थित/PU माहक <i>उत्पावली</i> <i>पत्रावली</i> <i>वकील</i> दिनांक <i>29.11.2024</i> क पत्र है <i>7</i></p>	
29.1.2024	<p>वकुलाए फरिकैन उपस्थित/PU माहक <i>उत्पावली</i> <i>पत्रावली</i> <i>वकील</i> दिनांक <i>09.4.2024</i> क पत्र है <i>7</i></p>	
9-4-2024	<p>पत्रावली पेश हुयी वकील पार्थी 04 दिवस नहीं प्रकील पार्थी व पार्थी स्वयं के कए-कए आवाज लगाए कि भी हरिके नहीं पार्थी-पत्र अमम हाजरी नही फंसी में खात्रीज भिया जाहा है। पत्रावली नम्बर कस की पार्थी कए वकील पार्थी ल पावला दालिल दफतर हो। <i>7</i></p>	